International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 19-12-2021, Accepted: 02-01-2022, Published: 19-01-2022
Volume 8, Issue 1, 2022, Page No. 29-31

हरियाणा में मनरेगा अधिनियम के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं (PRI"S) की भूमिकाः जिला गुरूग्राम का तुलनात्मक अध्यन

संध्या तिवारी, भगवान सिंह
कलिंगा विश्वविद्यालय, कोटनी, नया रायपुर, छत्तीसगढ, भारत

सारांश
भारत में पंचायतें महत्वपूर्ण संस्था है, जिसके माध्यम से भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश में प्रशासन आमलोगों तक पहुंचता है और स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय लोगों के स्थानीय अधिकार द्वारा की जाती है । यही सच्चे लोकतन्त्र और पंचायती राज का सार तत्व है । शाब्दिक दृष्टि से पंचायती राज हिन्दी भाषा के दो शब्द पंचायत और राज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पॉच प्रतिनिधियों के समूह का शासन । भारत के प्राचीन पंचायत राज के विषय में कार्लमार्क्स ने श्दास कैपिटलश में लिखा है कि भारतीय ग्राम समुदाय धार्मिक ढंग से सयुक्त स्वामित्व तथा किसान और मजदूर के श्रम विभाजन पर आधारित है, ये ग्राम समुदाय अपने आप में परिपूर्ण है ।

मूल शब्दः मनरेगा अधिनियम, पंचायती राज संस्था, जिला गुरूग्राम का तुलनात्मक अध्यन

प्रस्तावना

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में ऐतिहासिक, आनुभविक एंव विश्लेषणात्मक शोध पद्धति अपनायी गयी है तथा तथ्य संग्रहण हेतु प्रारम्भिक एंव द्वितीयक स्तोतों का उपयोग किया गया है ।

शोध का उद्देश्य

1. भारत में पंचायती राज व्यवस्था एंव मनरेगा का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करना ।
2. पंचायती राज प्रणाली पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन करना ।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एंव ग्रामीण मजदूरों के पलायन रोकने तथा महिला सशक्तीकरण में मनरेगा की भूमिका का परीक्षण करना ।
4. मनरेगा अधिनियम के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन करना ।
5. मनरेगा अधिनियम के क्रियान्वयन की चुनौतियों का विश्लेषण करना ।

शोध परिकल्पना

1. ग्रामीण जनता में पंचायती राज, मनरेगा के बारे में पर्याप्त जागरूकता है ।
2. मनरेगा से गांवों का आर्थिक विकास हुआ है और लोगों का जीवन स्तर सुधरा है।
3. मनरेगा के आने से पंचायतीराज व्यवस्था में लोगों की सहभागिता बढी है ।
4. मनरेगा अधिनियम ने ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में सकारात्मक भूमिका निभायी है ।
5. मनरेगा के कारण ग्राम सभा की बैठके नियमित रूप से होती है ।
6. मनरेगा अधिनियम के प्रभाव से पंचायती राज व्यवस्था सशक्त हुई है ।

शोध प्रबन्ध की संरचना

प्रस्तुत शोध अध्ययन को निम्नलिखित अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है–

प्रथम अध्याय "प्रस्तावना" में विषय का परिचय, शोध प्रबन्ध का उद्देश्य, साहित्य सर्वेक्षण, परिकल्पना एंव शोध प्रविधि के विषय में उल्लेख किया गया है ।

द्वितीय अध्याय "भारत में स्थानीय स्वशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि" के अन्तर्गत पंचायतों के विकास क्रम वैदिककाल से लेकर 73वें संवैधानिक संशोधन तक की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है ।

निदर्शन का चुनाव

सामाजिक शोध से संबंधित ऐ मुख्य समस्या अध्ययन की इकाइयों के चयन से संबंधित है। कोई अध्ययन विषय चाहे अत्यधिक व्यापक हो अथवा सीमीत, प्रत्येक अध्ययन से संबंधित सामाजिक इकाइयों की संख्या इतनी अधिक होती है सभी का अध्ययन कर सकना साधारणतया सम्भव नही होता। सम्पूर्ण समग्र में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों के चयन की प्रणाली को निदर्शन, प्रतिचयन या प्रतिदर्श कहते है। विनर्शन केवल वैज्ञानिक शोध की ही विशेषता नही है बल्कि हमारे सम्पूर्ण जीवन में यह सदैव क्रियाशील रहने वाली एक स्वभाविक प्रक्रिया है। सांख्यिकीय रूप से विनर्शन एक ऐसा प्रयास है जिसके अन्तर्गत हम कुछ स्वीकृत और पूर्व निर्धारित प्रणालियों की सहायता से सम्पूर्ण मे से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन करतें है। बींसवी शताब्दी के आरम्भ में 'बॉउलें' ने इस पद्धति का प्रयोग करके सामाजिक तथ्यों के अध्ययन को एक नई दशा प्रदान करने के प्रयत्न किया। प्रतिदर्श समष्टि का एक अंश होता है जिसमें समष्टि की समस्त विशेषताएं प्रतिबिम्ब होती है।

प्रस्तुत अध्ययन शोध प्रबन्ध के सर्वेक्षण विधि पर आधारित है। शोध प्रबन्ध की विश्वसनीयता उसकी गुणवत्ता की जॉच दस पद्धति के आधार पर की जा सकती है जिस आधार पर शोध किया गया है। अतः शोध में मौलिकता एंव विश्वसनीयता बनाये रखने के उद्देश्य से शोध निदर्शन चुनते समय विशेष ध्यान रखा गया है जिससे सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। शोध

– प्रबंध में गुड़गांव एवं शेष हरियाणा में मरनेगा कार्यक्रम के क्रियान्वयन का अध्ययन किया गया है। यह एक बहुत व्यापक विषय है जिसमें सभी विकासखण्डों का अध्ययन करना संभव नहीं है। अतः शोध प्रबन्ध कोमौलिकता व प्रमाणिकता प्रदान करने के उद्देश्य से निदर्शन का चुनाव किया गया है। गुरूग्राम व शेष हरियाणा के विकासखण्डों का चयन यादृच्छिक पद्धति (Random Sampling) से किया गया है।

प्रस्तुत शोध कार्य में क्षेत्र की वास्तविक स्थिति जानने के लिए पायल में स्टडी (प्राथमिक अध्ययन) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में गुड़गांव एवं शेष हरियाणा के चयनित विकासखण्ड में जमीनी यथार्थ जानने के लिए प्राथमिक अध्ययन किया गया तथा उभरकर मुद्दों के आधार पर प्रश्नावली का निमार्ण किया गया। इसमें पंचायत प्रतिनिधि व मनरेगाकर्मी का जागरूकता स्तर, मनरेगा कार्यक्रम की योजना, जनसहभागिता का स्तर, आर्थिक प्रगति आदि से सम्बन्धित प्रश्नों का समावेश किया गया। इस प्रश्नावली की वैधता जॉचने के लिए तथा इसकी वास्तविक उपादेयता का परीक्षण करने के लिए इसे पंचायत सदस्यों व मनरेगाकर्मियों पर प्रशासित किया गया तथा इसमें आवश्यक सुधार किए गए। 15 दिन पश्चात् पुनः इसकी वैधता की जॉच की गयी। यह शोध कार्य गुड़गांव एवं शेष हरियाणा की दो–दो ग्राम पंचायतों की सर्वेक्षण पर आधाररित है। इस शोध में तीन प्रकार के निदर्शन चुने गये हैं–

(क) ग्राम प्रधान
(ख) ग्राम पंचायत सदस्य
(ग) मनरेगाकर्मी

सभी प्रधान ने अपनी अनुक्रिया दी। चयनित ग्राम पंचायत के 44 पंचायत सदस्यों से अनुक्रिया मॉगी गयी जो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते होः उसमें से 40 पंचायत सदस्यों से अनुक्रिया प्रदान की। इस प्राकर हर ग्राम पंचायत से 10–10 पंचायत सदस्य उत्तरदाता है। मनरेगाकर्मियों की संख्या चारों ग्राम में अलग–अलग है। गुरूग्राम के गांव शहर के नजदीक होने के कारण यहॉ कम संख्या में जॉबकार्ड धारक हैं जबकि हरियाणा में ग्रामीण समुदाय की बहुलता के कारण वहॉ जॉब कार्ड धारकों की संख्या ज्यादा है।

गुरूग्राम के दोनो ग्राम में 313 व हरियाणा के दोनो जिले में 11219 जॉबकार्ड धारक हैं अतः यादृच्छिक विधि से हर ग्राम से 100–100 मनरेगाकर्मी का प्रतिदर्श चयन किया गया। इस प्रकार 400 मनरेगा कर्मियों से अनुक्रिया मॉगी गयी जो सम्पूर्ण जॉबकार्ड धारकों की संख्या 1532 का 26.11 प्रतिशत था जिसमें सभी महिला, पुरूष, सामान्य, अनुसूचित जाति, विकलांग कर्मी को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार दोनों विकासखण्ड से समान उत्तरदाता चुने गये। कुल 404 लोगों पर सर्वेक्षण कार्य किया गया है। उत्तरदाताओं को एक विश्वसनीय माहौल दिया गया जिससे वे बिना भय व संकोच के उत्तर दे सके।

निष्कर्ष

यह कहा जा सकता है कि देश के समग्र विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था व मनरेगा अधिनियम में कुछ सुधार आवश्यक है, जिससे यह योजना सिर्फ रोजगार उपलब्ध कराने वाला कार्यक्रम न होकर ग्रामीण विकास का सशक्त माध्यम व देश की प्रगति की गारण्टी बन सके । मनरेगा कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली, व्यापक एंव पारदर्शी बनाने के लिए सरकार के साथ –साथ स्वंय लाभार्थियों तथा ग्रामीण संस्थाओं को जागरूक रहना होगा तभी महात्मा गांधी व पंडित नेहरू के पूर्ण ग्रामीण विसा का स्वप्न पूरा हो सकेगा । पंचायतों के माध्यम से मनरेगा का सफल क्रियान्वयन स्थानीय स्तर पर प्रजातंत्र की जडों को भी सशक्त करेगा जो भारत के प्रजातांत्रिक भविष्य के लिये अपार संभावनाओं का द्वार भी खोलेगा ऐसी उम्मीद की जा सकती है ।

संदर्भ सूची

1. डॉ0 विष्णु राजगढियाः मनरेगा (2013) राजकमल प्रकाशन
2. यादव एन.एन.ः हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था (2013) जगदीश कॉलोनी, रोहतक, हरियाणा।
3. बी0बी0 तायलः भारत में रूथानीय शासन, आर्य पब्लिकेशंस सिर्मौर, हिलाचल प्रदेश।
4. पंचायती राज एंव ग्रामीण विकास धमेन्द्र सिंह।
5. असलम एम0 (2010)ः भारत में पंचायती राज ।
6. सेठी, जे0 डी0ः पंचायत डेमोक्रेसी (1989) मेनस्ट्रीम
7. पांडे साधना (2018)ः ग्रामीण स्थानीय स्वशासन।
8. रंगा ओ0 पी0 (2021)ः हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 सिंगला प्रकाशन रोहतक, हरियाणा।
9. शर्मा महेश (2011) महात्मा गांधी नरेगा, प्रमात प्रकाशन।
10. गुप्ता माधव प्रसाद (2011) मनरेगा पंचायती राज, रावत प्राकशन।
11. रडत्री हरिश कुमार (2017)ः भारत में पंचायती राज व्यवस्था कैलाश प्रकाशनए इन्दौर।
12. बाबु अशोक (2019)ः भारत के ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अविष्कार प्रकाशन।
13. अग्रवाल प्रमोद कुमार (2019)ः भारत में पंचायती राज व्यावस्था , प्रभात प्रकाशन ।
14. शर्मा धर्तराज (2019) भारत निर्माण एंव मनरेगा, रावत प्राकशन, नई दिल्ली।
15. यादव एन0 एन0 (2018)ः हरियाणा पंचायत कानून जगदीश कॉलोनी, रोहतक (हरियाणा)।
16. राठौर बिमलेश (2009)ः महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, मित्तल इंटर प्राइस दिल्ली।
17. कुमार संतोष (2013)ः मनरेगा, लिपिका साहित्य संस्थान मयूर विहार, दिल्ली–110096।
18. नरेगा एक्त, आप्रेशन गाइडसाईन (2008)।
19. सेतिया सुभाष नरेगा ने रडोले गांवों में रोजगार के नए डुार कुरन्देंत्र (2009)।
20. मनरेगा समीडा, ग्रामीण विकास मत्रांलय, भारत सरकार नर्द दिल्ली (2007)।
21. बसु डी.डी.ः भारत का सविधान एक परिचय वाधवा कम्पनी नई दिल्ली।
22. शर्मा, डा0 धर्मराजः भारत संघ व्यवस्था, रावत प्राकशन जयपुर।
23. अग्रवाल, उमेश चनद्रः ग्रामीण गरीबो और निर्बल वर्गो के लिए नई कल्याणाकारी योजना एक समीन्द्रा : कुरूक्षेत्र नई दिल्ली (2009)।
24. कटारिया सुरेन्द्रः महात्मा गांधी का पंचायती राज कुरूक्षेत्र नर्द दिल्ली (2009)।
25. कुमार मनीषः ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भुमिका कुरूक्षेत्र, 2007।
26. यादव चन्द्रभान (2010)ः मनरेगा और पंचायती राज कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली।
27. महीपालः पंचायती राज अतीत वर्तमान भविष्य, सारांश प्रकाशन दिल्ली, (1996)।
28. शर्मा हरिचन्द्र (1999)ः भारत में स्थानीय प्रशासन कॉलेज बुक डिपो जयपुर।

29. दुबे, अवध नारायणः नयी पंचायती राज व्यवस्था, अर्चना प्रकाशन लखनऊ (1971)।
30. बर्थदात : स्थानीय शासन सुलभ प्रकाशन।
31. सिंह बामेशवर : भारत में स्थानीय स्वशासन, राधा प्रकाशन।